



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276833
CG-DL-E-06102026-276833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5041]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5041]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2026

का.आ. 5248(अ).— दिनांक 18.06.2025 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 05.06.2025 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 2505 (अ) के आंशिक संशोधन और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार, केरल राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की कोच्चि – कुट्टनाड – बेंगलुरु - मंगलौर पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल) परियोजना के लिये उक्त अधिनियम के तहत इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 10.08.2027 तक, श्री रेंगिथ जॉर्ज, डिप्टी कलेक्टर (एल आर) कासरगोड, केरल सरकार को श्री शाहजहाँ एस., डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निष्पादन करने के लिए, एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल – 14014-112-2017-जी पी -II (ई- 45566)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.O. 5248(E).— In partial modification of the Government of India Notification No. S.O. 2505(E) dated 05.06.2025, published in the Extraordinary Gazette of India dated 18.06.2025, and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Rengith George, Deputy Collector (LR), Kasaragod, Government of Kerala in place of Shri Shajahan S., Deputy Collector, Government of Kerala to perform the functions of the Competent Authority for Kochi-Koottanad-Bengaluru-Mangalore Pipeline (KKBMPL) Project of M/s GAIL (India) Limited in the State of Kerala for the period from the date of issue of this notification till 10.08.2027 under the said Act, on deputation basis.

2. This notification will be effective from its date of issue.

[F. No. L-14014-112-2017-GP-II (E- 45566)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.